UPAD010075072026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं. 1 प्रयागराज।
जमानत प्रार्थना संख्या– 2760/2026

1. **पप्पू** पुत्र रोशन
2. **दिलीप** पुत्र पप्पू

निवासीगण–हुसैनपुर अहमदपुर, पूरामुफ्ती, थाना पूरामुफ्ती, जनपद प्रयागराज।

.....अभियुक्तगण।

–प्रति–

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन।

अपराध संख्या–79 सन 2026
धारा–109(1), 118(1), 351(2)भा.न्या.सं.
थाना–पूरामुफ्ती, जनपद– प्रयागराज।

दिनांक–21.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्तगण **पप्पू एवं दिलीप** की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र समर्थित शपथपत्र अपराध सं.–79 सन 2026, धारा– 109(1), 118(1), 351(2) भा.न्या.सं., थाना पूरामुफ्ती, जनपद प्रयागराज के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। जो सत्र न्यायालय से अन्तरित होकर विधि अनुसार निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। जमानत प्रार्थना के साथ विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रयागराज के द्वारा जमानत निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 02.07.2026 की सत्यप्रति संलग्न की गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्त दिलीप कुमार का थाने की आख्या के अनुसार आपराधिक इतिहास निम्नवत है –

अ.सं.	धारा	थाना	जनपद
176/2022	आरोप पत्र दाखिल नहीं।	पूरामुफ्ती	प्रयागराज

प्रार्थी/अभियुक्तगण का प्रार्थना पत्र में कथन है कि प्रार्थीगण की यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय सहित किसी अन्य न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया है, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ श्रीमती चमेली देवी पत्नी पप्पू का शपथपत्र संलग्न किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र में अभिकथित किया गया है कि उक्त आपराधिक घटना पूरी तरह असत्य है क्योंकि उक्त दिनांक–25.06.2026 को समय करीब 12 से 1 बजे दोपहर में मुकदमा वादी का पुत्र सूरज उम्र करीब 14–15 वर्ष गांव के पास पैरवीकार की पुत्रियां रोहिनी, सोहिनी उम्र लगभग 10, 5 वर्ष है जो अपने देवर देवरानी के मृत्यु के पश्चात संरक्षक है, को आम देने का लालच देकर हाथ पकड़कर केले के खेत में ले गया और जबरन गलत मंशा से कपड़ा उतारने लगा। तब दोनों बच्चियों ने शोर मचाया तो मुकदमा वादी का पुत्र भद्दी–भद्दी गालियां दिया और बताने पर जान से मारने की धमकी दिया व आस–पास के

लोग आता देख भाग गया व उक्त बच्चियों का कपड़ा भी फाड़ दिया था जिसकी सूचना गांव–गांव में पहुंची तो उक्त मुकदमा वादी उक्त रात्रि को अपने पुत्र को आग लगा दिया। दिनांक–26.06.2026 को उक्त दिनांक 25.06.2026 की घटना की सूचना तत्काल चौकी प्रभारी सल्लाहपुर को दिया गया किन्तु कोई विधिक कार्यवाही नहीं किया गया जबकि उक्त मुकदमा वादी द्वारा दि. 27.06.2026 को मनगढ़न्त कहानी बनाकर प्रार्थना पत्र देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दिया। अवर न्यायालय के समक्ष फरार होने की शंका दर्शित किया किन्तु साक्ष्य के रूप में न ही कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह का जिक्र किया, न ही मौके पर क्या पाया, न ही कोई जलाने का मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत किया। घटना के समय कोई भी साक्षी नहीं, न ही कोई वीडियो प्रस्तुत है। अभियुक्तगण का उक्त घटना जो एफ.आई.आर. में वर्णित है, कोई सम्बन्ध नहीं है तथा उक्त आपराधिक घटना मनगढ़न्त है। घटना का कोई भी स्वतन्त्र गवाह नहीं है। अभियुक्तगण दिनांक–29.06.2026 से जेल में निरुद्ध है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र को पेट्रोल छिड़क कर उसे जान से मारने का प्रयास किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

संक्षेप में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी पन्नालाल द्वारा थाना पूरामुफ्ती, प्रयागराज में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर दिनांक 27.06.2026 को समय 16.43 बजे अभियुक्तगण पप्पू, दिलीप एवं दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध अपराध संख्या–79 सन 2026, धारा 109(1), 118(1), 351(2) बी.एन.एस. में अभियोग पंजीकृत किया गया। वादी मुकदमा द्वारा प्राथमिकी में अंकित किया गया है कि दिनांक–25.06.2026 को वादी का लड़का सूरज व वादी के पड़ोस के ही रहने वाले पप्पू व दिलीप के बीच आम तोड़ने की बात को लेकर कहा सुनी हो गयी थी। जिसमें उक्त दोनों लोगों ने वादी के लड़के को जान से मार डालने की धमकी देते हुए चले गये। फिर उसी दिन वादी का लड़का चीनी मिल से काम कर वापस आ रहा था तभी रास्ते में हुसैनपुर भट्ठे के समीप उक्त दोनों लोग व अन्य साथी मिलकर वादी के लड़के के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर भाग गये जिससे वादी का लड़का काफी झुलस गया। वादी को स्थानीय लोगों से जानकारी होने पर अपने लड़कों को लेकर भगवतपुर सरकारी अस्पताल ले गया किन्तु वहां के डाक्टरों ने स्वरुपरानी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जहां पर वादी अपने लड़के को भर्ती कर प्रार्थना पत्र दिया।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दण्ड) के तर्को को सुना एवं प्रार्थनापत्र व अन्य अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण पर वादी के पुत्र सूरज को जान से मारने की धमकी देने, जान से मारने की नीयत से सूरज के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगाने का प्रयास, जिसके फलस्वरुप उसे गम्भीर चोटें पहुंचाये जाने का अभियोग है। अभियोग दैनिकी में वादी मुकदमा पन्ना लाल, आहत की मां शान्ति एवं आहत सूरज का कथन अंकित किया गया है। जिसमें उक्त लोगों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित कथनों का समर्थन किया है। घटना में आहत सूरज उम्र 15 ने विवेचक को दिये गये अपने बयान में बताया कि "वह आम

बिनने गया हुआ था जहां दिलीप के चाची के लड़के ने उससे आम मांगा। उसने 3–4 आम उनको दे दिया जो उसे 10–12 आम और मांगने लगे जो उसने नहीं दिया। उसी बात को लेकर पप्पू व उनके लड़के दिलीप ने उसे चाचा के ट्यूबवेल के पीछे मारा पीटा व पेट्रोल/तेजाब छिड़क कर दिनांक–25.06.2026 की रात में करीब 8–8.30 बजे आग लगा दिये। उसके बाद वह बेहोश हो गया था।'' विवेचक द्वारा वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा नजरी बनाया गया। अभियोग दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आहत सूरज को सर्वप्रथम सरदार बल्लभ भाई पटेल भगवतपुर बर्न केस के रूप में भर्ती किया जाना अंकित किया है, तदोपरान्त काल्विन अस्पताल के लिए रेफर किया जाना अंकित है। वादी द्वारा आहत सूरज के जलने की फोटो व सी.टी.स्कैन की तस्वीर को अभियोग दैनिकी में अंकित किया गया। विवेचक द्वारा वादी के साथ घटनास्थल जाकर जामुन के पेड़ के नीचे एक अदद अर्धजली टी–शर्ट को कब्जे में लिया गया जिसे वादी ने अपने पुत्र की होना बताया। उक्त शर्ट को सीलकर सर्वमोहर कर फर्द बनाया गया। विवेचक द्वारा घटना की स्वतन्त्र साक्षी कुन्ती का बयान अभियोग दैनिकी में अंकित किया। अभियोग दैनिकी के साथ सरदार बल्लभ भाई अस्पताल के पर्चे एवं आहत सूरज के जली शरीर की छायाप्रति व सी.टी.स्कैन की छायाप्रति संलग्न है।

विवेचक द्वारा आहत सूरज के इलाज से सम्बन्धित चिकित्सा प्रपत्रों को न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया है।

थाने की आख्या के अनुसार पीड़ित ने जो लगभग 40 प्रतिशत जला हुआ है एवं उसकी खोपड़ी की हड्डी टूटी हुयी है जिसका इलाज एस.आर.एन.हास्पिटल में लम्बे समय से चल रहा है। पीड़ित को डस्चार्ज कर दिया गया है, वादी मुकदमा से मेडिकल सम्बन्धी प्रपत्र प्राप्त कर एस.आर.एन.हास्पिटल को रिपोर्ट प्रेषित कर सप्लीमेंट्री रिपोर्ट प्राप्त कर साक्ष्य के रूप में विवेचना का भाग बनाया जायेगा।

अभियोग दैनिकी में संकलित साक्ष्यों से दर्शित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र सूरज को पेट्रोल/तेजाब छिड़क कर उसे जान से मारने का प्रयास किया गया जिससे वह गम्भीर रूप से जल गया। कथित घटना को तेजाब प्रकरण से सम्बन्धित होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है एवं मामला अभी विवेचनाधीन है। यह तथ्य भी अभी आना है कि अभियुक्तगण द्वारा पेट्रोल छिड़क कर घटना कारित की गयी है या तेजाब छिड़क कर घटना कारित की गयी है।

अतः अपराध की प्रकृति, प्रार्थी/अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता के दृष्टिगत प्रार्थी/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण **पप्पू एवं दिलीप** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र 2760/2026 सम्बन्धित अपराध सं.–79 सन 2026, धारा 109(1), 118(1), 351(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना–पूरामुफ्ती, जनपद प्रयागराज निरस्त किया जाता है।

दिनांक–21.07.2026

(दिवाकर द्विवेदी)
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं.–1
प्रयागराज।
J.O. Code– U.P.6265